{झारखण्ड सरकार वित्त विभाग पत्र संख्या-वित्त-4-66/2003/2741/वि०, दिनांक, 23 अक्टूबर, 2003}

विषय:- विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की प्रणाली एवं व्यवस्था के संबंध में ।

विभाग के सभी वित्तीय पहलुओं पर नियंत्रण एवं अनुशासन रखने हेतु विभागीय सचिव को आवश्यक वित्तीय सलाह प्रदान करने के लिए विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की व्यवस्था लागू है । वित्त विभाग के संकल्प सं०-2046/वि०-दि० 14 मार्च, 1986 द्वारा आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहायता हेतु उप आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की व्यवस्था की गई थी । वर्तमान व्यवस्था के सरलीकरण का विषय सरकार के विचारधीन था ।

2. सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि :-

(1) संकल्प सं०-2046/वि०, दिनांक 14 मार्च 1986 में निहित उप-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार तथा वित्त विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आन्तरिक वित्तीय सलाहकार को कार्य सम्पादन में सहायता प्रदान करने संबंधी प्रावधान को विलोपित किया जाय ।

(2) आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के रूप में विभाग के ही किसी विशेष/अपर/संयुक्त/उप-सचिव को वित्त विभाग द्वारा प्रशासी विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधिसूचित किया जायगा जिन्हें लेखा, बजट एवं कोषागार से संबंधित कार्यों का अनुभव हो तथा राज्य सचिवालय में कम-से-कम दो वर्षों तक पदस्थापित रहे हों । आन्तरिक वित्तीय सलाहकार वित्त विभाग के प्रति उत्तरदायी होंगे तथा प्रत्यायोजित शक्ति के अन्तर्गत प्रशासी विभाग को नियमानुकूल वित्तीय परामर्श देना उनका कर्त्तव्य होगा ।

3. आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का कार्य विभाग के सभी वित्तीय पहलुओं पर नियंत्रण एवं अनुशासन बनाये रखने में विभागीय सचिव को सहायता प्रदान करना होगा । वह प्रशासी विभाग के योजना, बजेटिंग, व्यय का अनुश्रवण यथा अधीनस्थ कार्यालयों से व्यय के मासिक आँकड़े का संकलन, विश्लेषण तथा विहित प्रपत्र में मासिक व्यय प्रतिवेदन तैयार करना, लेखा सत्यापन, पेंशन स्वीकृति का अनुश्रवण, भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति, प्रत्यायोजित शक्ति के अन्तर्गत कर्मियों के सेवा विनियमन संबंधी मामलों में परामर्श तथा वित्तीय भार सन्निहित अन्य सभी मामलों में परामर्श संबंधी कार्यों का निष्पादन करेंगे ।

Scanned with CamScanner

4. संलेख प्रारूप एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप की जाँच विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा किया जाएगा तथा अब इस कार्य हेतु संचिका सामान्य तौर पर वित्त विभाग नहीं भेजी जाएगी । परन्तु जहाँ मामले में कार्यपालिका नियमावली के तहत् वित्त विभाग का परामर्श आवश्यक होगा वहाँ संचिका में आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाएगा ।

5. विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा वित्तीय स्वीकृत्यादेश प्रारूप की जाँच करते समय अन्य बातों के अलावे विशिष्ट रूप से निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाएगा :-

(I) बजट शीर्ष, वित्तीय वर्ष, स्वीकृत राशि अंक तथा अक्षरों में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तथा कोषागार/उपकोषागार का प्रारूप में उल्लेख ।

(II) बजट उपबंध, निर्माण सम्बंधी योजना में तकनीकि एवं प्रशासनिक मंजूरी, खर्च की सक्षम स्तर से मंजूरी, पद सृजन के मामले में कार्यपालिका नियमावली के नियम-35 का अनुपालन ।

(III) अनुदान की स्वीकृति के मामले में अनुदान की स्वीकृति का उद्देश्य और उसकी शर्त तथा अवधि सीमा जिसके भीतर अनुदान या उसकी हर किस्त खर्च होगी का उल्लेख । सामान्यतया किसी वित्त वर्ष में अनुदान का उतना ही हिस्सा स्वीकृत किया जाना चाहिए जितना की वर्ष के भीतर खर्च हो जाने की आशा हो तथा वित्त नियमावली के नियम-340-343 का अनुपालन हो ।

(IV) ऋण स्वीकृति के मामले में ऋण स्वीकृति का उद्देश्य, शर्त एवं ऋण वापसी की किस्तों का उल्लेख ।

(V) केन्द्र प्रायोजित योजना की स्वीकृति के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु विहित शर्त्त का उल्लेख ।

(VI) सहायक अनुदान, वैवेकिक अनुदान, ऋण एवं अग्रिम, किसी कार्यालय की प्रथम स्थापना एवं बिहार कोषागार संहिता भाग-II के परिशिष्ट 12 एवं 13 (खण्ड V एवं VII) से संबंधित मामलों में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध ।

6. विभाग को प्रत्यायोजित शक्ति के भीतर निर्गत वित्तीय स्वीकृत्यादेश का महालेखाकार को वित्त नियमावली के नियम-67 के अनुसार संसूचन का कार्य आन्तरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा किया जाएगा । प्रत्येक माह में निर्गत की गई स्वीकृत्यादेश संबंधित सूचना से वित्त विभाग के पत्र के अनुसार वित्त विभाग को सूचित करने के पश्चात् ही अगले माह में स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जायेगा ।

7. विभागीय सचिव वित्तीय भार सन्निहित सभी मामलों में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का परामर्श प्राप्त करने के पश्चात् निर्णय लेंगे । परन्तु अगर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार विभागीय विचार से सहमत नहीं हो तो उन कारणों को स्पष्ट करते हुए संचिका वित्त विभाग को पृष्ठांकित करेंगे । चूँकि आन्तरिक वित्तीय सलाहकार को शक्ति का प्रत्यायोजन विभागीय (वित्त) मंत्री के अनुमोदन से कार्यपालिका के नियमावली के नियम-38 के तहत् निर्गत किया जा रहा है एवं इस प्रकार वित्तीय मामले में वित्त मंत्री ही विभागीय मंत्री होंगे ।

8. विभाग के अधीनस्थ विभागाध्यक्ष प्रत्यायोजित शक्ति तक वित्तीय भार सन्निहित निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होंगे तथा जिन मामलों में वित्तीय परामर्श की आवश्यकता होंगी विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का परामर्श प्राप्त करेंगे ।

9. वित्त विभाग द्वारा सभी विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकारों के साथ समय-समय पर आवश्यकतानुसार बैठक आयोजित कर वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण तथा वित्तीय सलाहकारों द्वारा कार्य सम्पादन में आनेवाली दिक्कतों के सन्दर्भ में मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा तथा उनके कार्यों की समीक्षा किया जाएगा ।

10. विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियाँ विभागीय सचिव तथा वित्त सचिव दोनो ही लिखेंगे ।

11. विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहायता हेतु आवश्यकतानुसार पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति प्रशासी विभाग द्वारा की जाएगी ।

12. विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के कार्यालय में वित्तीय नियमों से संबंधित पुस्तकें यथा:- वित्त नियमावली, कोषागार संहिता, सेवा

Scanned with CamScanner

संहिता, बजट हस्तक, भविष्य निधि नियमावली, पेंशन नियमावली
जाएगी तथा निम्नलिखित आदेश अलग-अलग गार्ड फाइल में
जाएगी ।

(i) वित्तीय मामलों से संबंधित परिपत्र/संकल्प/आदेश
(ii) वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन संबंधी आदेश ।
(iii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश
(iv) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभाग एवं विभागाध्यक्षों द्वारा
आवंटन आदेश ।
(v) प्रत्येक मांग/विनियोग के लिए विहित प्रपत्र में मासिक
प्रतिवेदन ।

13. विभागीय आन्तरिक सलाहकारों के कार्य सम्पादन के संबंध में उपर्युक्त मार्गदर्शन दृष्टान्त स्वरूप है, अपने आप में विस्तृत नही है । आंतरिक वित्तीय सलाकारों द्वारा कार्यों का सम्पादन विभिन्न नियमों, समय-समय पर प्रभावी आदेशों परिपत्रों इत्यादि के आलोक में संतुष्ट करना है ।

14. विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के संबंध मे पूर्व में संकल्प/आदेश/परिपत्र उपर्युक्त हद तक संशोधित समझा जाएगा ।

आदेशः- इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्ष प्रधान महालेखाकार बिहार एवं झारखण्ड राँची को प्रेषित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
**देवाशीष गुप्ता,**
आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग
झारखण्ड, राँची ।

-------

<u>आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के मनोनयन हेतु प्रशासी विभाग द्वारा भेजे जाने वाले वांछित सूचना हेतु प्रोफार्मा</u>

विभाग का नामः-

| पदा० का नाम | पदनाम | लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष | लेखा, बजट एवं कोषागार से संबंधित कार्यों का अनुभव (वर्षों में) | सचिवालय में पदस्थापन का अनुभव (वर्षों में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |